1.9 Freedom from foreign matter

Honey sold as such shall not have added to it any food ingredient or other substance. It shall be free from invert sugar or honey analogue. Honey shall not have any objectionable flavour, aroma or taint absorbed from foreign matter during its processing and storage. The honey shall not have begun to ferment or effervescence. Filtration is permitted to remove objectionable matter provided sufficient pollen grains which characterise the honey are retained.

[F. No 6/3/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY. Jt Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मार्च, 2002

का.आ. 277(अ).— केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शहद उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण ,निरीक्षण और मानीटरिंग) नियम, 2002 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाए -

इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "**अधिनियम**"से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) अभिप्रेत है ;

(ख) "**अभिकरण**"से केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 7 के अधीन निरीक्षण के लिए मुम्बई,कोलकाता,कोची,दिल्ली और चेन्नई में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में अवस्थित उनके उप कार्यालय भी है ;

(ग) "**परिषद**"से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित निर्यात निरीक्षण परिषद अभिप्रेत है ,

(घ) "**बैच**"से शहद की ऐसी क्वालिटी अभिप्रेत है जिसे समान परिस्थिति में तैयार किया गया है और विशेष रूप से जिसका उपचार उसी एकल सतत प्रक्रिया में किया गया है ;

(ड.) "**प्रमाण पत्र**"से अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 3 के अधीन जारी किया गया प्रमाण पत्र अभिप्रेत है,

(च) "**संग्रह केन्द्र**"से ऐसा स्थापन अभिप्रेत है जहां पर शहद संग्रहीत किया जाता है,

(छ) "**प्रेषण देश**"से भारत अभिप्रेत है ,

(ज) "**गंतव्य देश**"से वह देश अभिप्रेत है, जिसे भारत से शहद का प्रेषण किया जाता है,

(झ) "**बाजार में रखना**"**से** शहद को विक्रय की दृष्टि से स्टाक या प्रदर्शित करना, विक्रय के लिए प्रस्थापना करना खुदरा विक्रय के सिवाय, परिदान या व्ययन को कोई अन्य रीति ,जिसे खुदरा कारबार के लिए राष्ट्रीय नियमों द्वारा अधिकथित नियंत्रणों के अध्यधीन होना चाहिए, अभिप्रेत है,

(त्र) "**सक्षम प्राधिकारी**" से निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम,1963 की धारा 7 के अधीन मुम्बई,कोलकाता,कोची, दिल्ली और चैन्नई में स्थापित निर्यात निरीक्षण अभिकरणों में से कोई एक अभिकरण अभिप्रेत है ,

(ट) "**स्थापन**"से ऐसा परिसर जहां शहद तैयार, प्रसंस्कृत, पैक अथवा भंडारित किया जाता है, अभिप्रेत है ।

3. **अनुपालन का आधार** -शहद के क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की प्रमुख बातें निम्न प्रकार से हैं :-

(क) निर्यात के लिए आशयित शहद का रखरखाव उत्पादन के सभी प्रक्रमों भंडारण और परिवहन का आधार, अच्छी विनिमार्णकारी रीति (जी.एम.पी).में - और अच्छी स्वच्छता रीति (जी.एम.पी) में किया जाएगा,और उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश में दी गई विशिष्टियों के अनुरुप होगा । सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्थापन द्वारा शहद के उत्पादन,भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों पर अच्छी विनिमार्णकारी रीति और अच्छी स्वच्छता रीति अपनाई जा रही है । परिषद योजना को प्रभावी रुप से मानीटर करने के लिए इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करेगी ।

(ख) परिषद द्वारा विहित रीति में किए गए निरीक्षण और परीक्षण के आधार पर

4. क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण की प्रक्रिया

4.1 नियम 3 के खंड (क) के अधीन अनुपालन के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

(1) उद्योग का यह प्रथम दायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करले कि निर्यात के लिए आशयित शहद का उत्पादन,भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों पर उचित स्वच्छता और विनिर्माणकारी अवस्थाओं में प्रसंस्करण और रखरखाव किया गया है और यह कि वह उत्पाद अधिनियम की धारा 6 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आर्डर में दिए गए विनिर्देशों के अनुरुप है ।

(2) राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर वाणिज्यिक या पर्यावरणीय या संरक्षण उपायों की बाबत अधिरोपित किन्हीं कानूनी निर्बंधनों का कठोरता से अनुपालन किया जाएगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी यह समाधान होने पर कि स्थापनों में ,उन क्रियाकलापों की प्रकृति की बाबत जिन्हें वे चलाते हैं,अपेक्षाएं पूरी कर ली गई हैं,ऐसे स्थापनों को अनुमोदित करेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी स्थापनों के अनुमोदन के मामले में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) , खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग, कृषि मंत्रालय, के प्रतिनिधियों से सहायता ले सकेगा ।

(5) यदि अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होती है तो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक उपाय करेगा ।

(6) जिनके पास उचित सरकारी संख्या है ऐसे अनुमोदित स्थापनों की सूची परिषद द्वारा बनाई जाएगी ।

(7) सक्षम प्राधिकारी के दायित्वाधीन नियमित रुप से स्थापन का निरीक्षण और मानीटरिंग किया जाएगा जो सभी समय स्थापनों के सभी भागों और उन अभिलेखों तक पहुंच रखेगा,जो शहद के उत्पादन,भंडारण और परिवहन के सभी प्रक्रमों के दौरान स्थापन द्वारा स्वच्छतापूर्वक रखरखाव और प्रसंस्करण के नियंत्रण किए जाने के प्रयोग से संबंधित है ।

4.2 नियम 3 के खंड (ख) के अधीन निरीक्षण की प्रक्रिया निम्नलिखित के अनुसार होगाः-

(1) शहद के परेषण का निर्यात करने का आशय रखने वाला निर्यातकर्ता अभिकरण को लिखित में सूचना देगा उसमें केवल तकनीकी विनिर्देशों को देते हुए उसके साथ निर्यात संविदा की प्रति होगी जिसमें कीमत और अन्य ब्यौरे नहीं होंगे।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक सूचना, उस दशा में जहां निरीक्षण ऐसे परिसरों में किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां अभिकरण का कार्यालय अवस्थित है ऐसे निरीक्षण से कम से कम दो दिन पूर्व, और जहां निरीक्षण ऐसे परिसरों में किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित नहीं है जहां अभिकरण का कार्यालय अवस्थित है, वहां ऐसे निरीक्षण से कम से कम पांच दिन पूर्व दी जाएगी ।

(3) उपनियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर ,अभिकरण निर्यात के लिए आशयित शहद का निरीक्षण और परीक्षण के लिए नमूना लेकर निरीक्षण करेगा। अभिकरण अपना यह समाधान होने पर कि शहद का परेषण किए गए निरीक्ष्ण और परीक्षण के आधार पर इस प्रयोजन के लिए परिषद द्वारा यथाअधिकथित मानक विनिर्देशों के अनुरुप है तो यथास्थिति दो या पांच दिन के भीतर शहद के परेषणों को निर्यात योग्य घोषित करते हुए प्रमाण- पत्र जारी करेगा,

परन्तु यह कि जहां अभिकरण का समाधान नही होता है वहां वह निर्यातकर्ता को प्रमाण पत्र जारी करने से इंकार कर सकता है और इस प्रकार के इंकार की सूचना निर्यातकर्ता को दो दिन के भीतर संसूचित करेगा यदि निरीक्षण उसी स्थान पर किया जाता है जहां पर अभिकरण अवस्थित है। यदि परिसर उसी स्थान पर स्थित नहीं है जहां पर अभिकरण अवस्थित है तो सूचना पांच दिन के भीतर संसूचित की जाएगी, और उसके साथ उसके कारण भी दिए जाएंगे ।

(4) .सत्यापन के पश्चात, अभिकरण के अभिवहन या वास्तविक पोत पर लदान से पूर्व किसी स्थान पर या भंडारण में परेषण की क्वालिटी का पुनःनिर्धारण करने का अधिकार होगा ।

5. इन प्रक्रमों में से किसी प्रक्रम पर परेषण को मानक विनिर्देशों के अनुरुप नहीं पाए जाने की दशा में, मूल रुप से जारी किया गया निरीक्षण प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा।

5. **पैकिंग और चिन्हांकन**- निर्यात के लिए शहद को पैक करने का आशय रखने वाला कोई निर्यातक नियमों के अनुसार परेषण तैयार करने के पश्चात स्वच्छतापूर्वक साफ किए गए चौडे मुंह वाले कांच के आधानों में या अम्ल प्रतिरोधी प्रक्षालित टिन आधानों में पैक करेगा । कांच के आधानों के चूडीदार ढक्कन गैर- सक्षारक और शहद के साथ अभिक्रिया न करने वाली सामग्री के होंगे और इनमें शहद को छलकने से रोकने के लिए वासर लगी होगी ।

प्रत्येक आधान पर निम्नलिखित सूचना स्पष्ट और अमिट रुप से चिन्हित की जाएगीः -

1. प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता का नाम और पता ।
2. निर्यातक का नाम और पता ।
3. सामग्री का नाम और श्रेणी अभिधान ।
4. बैच/लॉट संख्या
5. प्रसंस्करण या विनिर्माण का वर्ष, मास और तारीख ।
6. सकल द्रव्यमान और शुध्द द्रव्यमान ।
7. भारतीय उत्पाद
8. पोत चिन्ह

6 निरीक्षण शुल्कः

मानीटरिंग प्रणाली के अनुमोदन की दशा में , निरीक्षण फीस पोत पर्यन्त भाडा मूल्य की 0.2 प्रतिशत की दर पर होगी और परेषणवार निरीक्षण की दशा में, पोत पर्यन्त भाडा मूल्य की 0.4 प्रतिशत की दर पर होगी जो न्यूनतम 500 रुपए प्रति परेषण के अध्यधीन होगी जिसका संदाय निर्यातकर्ता द्वारा अभिकरण को किया जाएगा ।

7. **अपील :** (क) कोई भी निर्यातकर्ता अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र न दिए जाने के कारण व्यथित होने पर अभिकरण के द्वारा प्रमाण पत्र जारी न किए जाने की सूचना प्राप्त होने पर 10 दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसे अभिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त न्यूनतम तीन व्यक्तियों और अधिकतम सात व्यक्तियों वाले विशेषज्ञों के पैनल को निर्दिष्ट करेगा ।

(ख) पैनल के कुल सदस्यों में से कम से कम दो तिहाई गैर - सरकारी सदस्य होंगे ।

(ग) पैनल की गणपूर्ति निम्नानुसार होगी -

1 तीन सदस्यों वाले पैनल की दशा में गणपूर्ति के लिए न्यूनतम दो सदस्य अपेक्षित होंगे ।

2. चार और चार से अधिक सदस्यों वाले पैनल में गणपूर्ति के लिए तीन सदस्य अपेक्षित होंगे ।

(घ) इस प्रकार की अपील पर पैनल का निर्णय अन्तिम होगा ।

[फा. सं. 6/3/2000-ईआईएण्डईपी]
एम.वि.पि.सि. शास्त्री, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th March, 2002

S.O. 277(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub section 2 of section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. **Short title and commencement** – (1) These rules may be called the Export of Honey (Quality Control, Inspection and Monitoring) Rules, 2002.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires –

   (a) "**Act**" means the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963);

   (b) "**Agency**" means any of the Export Inspection Agencies established by the Central Government at Mumbai, Kolkata Kochi, Delhi and Chennai under section 7 of the Act for inspection including its sub-offices located at various places of the region;

   (c) **"Council"** means the Export Inspection Council established under section 3 of the Act;

   (d) **"Batch"** means a quality of honey, which have been prepared under the same conditions and in particular treated in single continuous operation;

   (e) **"Certificate"** means certificate issued under sub-section (3) of section 7 of the Act;

   (f) **"Collection Centre"** means an establishment where honey is collected.

   (g) **"Country of Dispatch"**- means India;

(h) **"Country of Destination"** means the country to which honey is dispatched from India;

(i) **"Placing on the market"** means the stocking or display with a view to sale, offering for sale, delivery or any other manner of disposal with the exception of retail sale, which must be subject to the checks laid down by national rules for retail business;

(j) **" Competent Authority"** means any one of the Export Inspection Agencies at Mumbai, Kolkata Kochi, Delhi and Chennai established under section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963;

(k) **" Establishment"** means any premises where honey is prepared, processed, packaged or stored.

3. **Basis of compliance. -** The quality control and inspection of honey shall be carried out as follows:-

(a) The honey intended for export shall be handled at all stages of production, storage and transport based on good manufacturing practices (GMP) and good hygienic practices (GHP) and the product shall conform to the specification given in the Order by the Central Government under section 6 of the Act. The Competent Authority shall conduct regular monitoring of the establishments to ensure that good manufacturing practices and good hygienic practices are adopted by the establishment at all stages of production, storage and transport of honey. For effective monitoring of the scheme, the Council shall issue necessary instruction in this regard.

(b) On the basis of inspection and testing carried out in the manner prescribed by the Council.

4. **Procedure of Quality Control and Inspection**

4.1 The procedure to be followed for compliance under clause (a) of rule 3 shall be as under: -

(1) It is the primary responsibity of the industry to ensure that honey intended for export is processed and handled at all stages of production, storage, and transport under proper hygienic and manufacturing conditions and that the product conforms to the specifications given in the order by the Central Government under section 6 of the Act.

(2) Any statutory restrictions imposed by any State/ Central Government with respect to commercial or environmental or conservation measures from time to time shall be strictly adhered to.

(3) Having satisfied itself that the establishments meet the requirements with regard to nature of activities they carry out, the Competent Authority shall accord approval to such establishments.

(4) The Competent Authority may take the assistance of representatives from Agricultural and Processed Food Export Development Authority (APEDA), Department. of Food Processing Industry and Ministry of Agriculture in the matter of approval of establishments.

(5) The Competent Authority shall take necessary measures if the requirements cease to be met.

(6) The Council shall draw up a list of approved establishments, each of which shall have an official number.

(7) The inspection and monitoring of establishment shall be carried out regularly under the responsibility of the Competent Authority which shall at all times have free access to all parts of the establishments and records pertaining to the controls exercised by the establishment for hygienic handling and processing of honey during all stages of production, storage and transport.

4.2 The procedure of inspection under clause (b) of rule 3 shall be carried out as under: -

(1) An exporter intending to export a consignment of honey shall give intimation in writing to the Agency furnishing therein only the technical specifications alongwith a copy of the export contract blanking out pricing and other details.

(2) Every intimation under sub rule (1) shall be given not less than two days before the inspection is to be carried out at the premises situated at the same station where the office of the Agency is located; and not less than five days before the inspection is to be carried out at the premises which are not situated at the same station where the office of the Agency is located.

(3) On receipt of intimation under sub rule (1), the Agency shall carry out the inspection of honey meant for export by drawing samples for inspection and testing. The Agency, on satisfying itself that the consignment of honey conforms to the standard specifications recognised for the purpose on the basis of inspection and testing carried out as laid down by the Council, shall, within two days or five days, as the case may be, issue certificate declaring the consignment of honey as exportworthy:

Provided that where the Agency is not satisfied, it shall refuse to issue a certificate to the exporter and shall communicate such refusal within two days if the inspection is carried out at the station where the Agency is situated or five days, if the premises are not situated in the same station where the Agency is located, as the case may be, to the exporter along with the reasons thereof.

(4) Subsequent to certification, the Agency shall have the right to re-assess the quality of the consignment at any place or storage, in transit or at the posts before its actual shipment.

(5) In the event of the consignment being found not conforming to the standard specifications at any of these stages, the certificate of inspection originally issued shall be withdrawn.

(5) Packing and Marking. An exporter intending to pack honey for export after preparing the consignment as per the rules shall pack in hygienically clean wide mouth, glass containers or in acids resistant lacquered tin containers. The screw caps for the glass container shall be non-corrosive and non-reactive material to honey and shall be provided with washers to avoid spilling.

Each container shall be legibly and indelibly marked with the following information, namely:-

1. Name and address of processor or manufacturer.
2. Name and address of the exporter
3. Name of the material and grade designation.
4. Batch or Lot number.
5. Year, month and date of processing or manufacturing.
6. Gross mass and net mass.
7. Product of India.
8. Shipping mark.

(6) Inspection Fee: -

In the case of approval and monitoring system, inspection fee @ 0.2%of the freight on board (FOB) value and in the case of consignment wise inspection @ 0.4%of freight on board value subject to a minimum of Rupees 500/- per consignment, shall be paid by the exporter to the Agency.

(7). **Appeal:** - (a) Any exporter aggrieved by the refusal of the Agency to issue the certificate of inspection may within 10 days of the receipt of the communication of such refusal may prefer an appeal which shall be referred by the Agency to a panel of experts consisting of not less than three, but not more than seven persons appointed for the purposes by the Central Government.

(b) At least two-thirds of the total membership of the panel shall consist of non-officials.

(c) The quorum of the panel shall be-

(i) two, in case the panel consists of three members.

(ii) three in case the panel consists of four or more members .

(d) The decision of the panel on such appeal shall be final.

[F. No. 6/3/2000-EI&EP]

M.V.P.C. SASTRY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054